

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

जलगांव-मालेगांव नगर निगम चुनावों की तैयारियाँ तेज : वार्ड आरक्षण की मसौदा सूची जारी, राजनीतिक समीकरण पलटे

Publisher

Published on 20 Nov 2025



महाराष्ट्र में स्थानीय स्वशासन चुनावों की सरगर्मी एक बार फिर तेज हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जलगांव और मालेगांव नगर निगम के वार्डों के लिए आरक्षण की मसौदा सूची (Draft Reservation List) जारी कर दी गई है। इस सूची के सामने आते ही दोनों शहरों में राजनीतिक गतिविधियाँ अचानक तेज हो गई हैं। संभावित उम्मीदवारों से लेकर राजनीतिक दलों और आम नागरिकों तक—सबकी नजरें अब इस मसौदे पर टिक गई हैं, क्योंकि यही तय करेगा कि आगामी चुनावों में कौन से वार्ड किन श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगे।

निर्वाचन आयोग ने यह मसौदा जनसंख्या संरचना, सामाजिक प्रतिनिधित्व, महिलाओं की भागीदारी और पिछड़े वर्गों के अनुपात के आधार पर तैयार किया है। सूची के अनुसार, कई वार्डों में पिछले कार्यकाल की तुलना में आरक्षण श्रेणियों में व्यापक बदलाव किए गए हैं, जिसने कई दिग्गज नेताओं और राजनीतिक परिवारों की रणनीतियों को नया मोड़ दे दिया है। वहीं, कई नए चेहरों के लिए यह बदलाव अवसर का दरवाजा भी खोल सकता है।

जलगांव नगर निगम में जारी मसौदा सूची के अनुसार, सामान्य, SC, ST, OBC और महिला आरक्षण के वर्गों में वार्डों का नया बंटवारा किया गया है। कई वार्ड जो पहले सामान्य श्रेणी में थे, अब आरक्षित वर्गों में शामिल किए गए हैं। विशेष रूप से महिला—साधारण और महिला-OBC के अंतर्गत नए वार्ड आरक्षित किए जाने से नगर निगम में महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे जलगांव की राजनीति में नई दिशा देखने को मिल सकती है।

वहीं, मालेगांव नगर निगम में आरक्षण की प्रक्रिया स्थानीय जनसंख्या और सामाजिक अनुपात को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। मुस्लिम-बहुल जनसंख्या वाले इस शहर में सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए कई वार्डों में OBC और महिला आरक्षण में वृद्धि की गई है। इसके अलावा कुछ वार्डों को पहली बार SC श्रेणी में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। इससे मालेगांव के राजनीतिक परिवेश में बड़ा बदलाव देखने की संभावना है।

मसौदा सूची जारी होने के साथ ही आयोग ने नागरिकों और राजनीतिक दलों को आपत्तियाँ एवं सुझाव दर्ज करने के लिए निर्धारित समय सीमा तय की है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरक्षण की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है और हर वार्ड की गणना आधिकारिक आँकड़ों व जनसंख्या संरचना के अनुसार की गई है। अंतिम आरक्षण सूची आपत्तियों की समीक्षा के बाद प्रकाशित की जाएगी।

नागरिकों में इस मसौदे को लेकर मिले-जुले प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रही हैं। कई लोग इसे सामाजिक न्याय और विविधता की दिशा में सकारात्मक कदम बता रहे हैं, वहीं कुछ नागरिकों का कहना है कि आरक्षण के लगातार बदलते स्वरूप से विकास कार्यों की निरंतरता प्रभावित हो सकती है। कई जगहों से यह भी आवाज उठ रही है कि आरक्षण प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट और सरल बनाया जाए, ताकि आम नागरिकों को समझने में आसानी हो।

दूसरी ओर, जलगांव और मालेगांव दोनों जगहों पर संभावित उम्मीदवारों ने अपने नए राजनीतिक गणित के हिसाब से तैयारी शुरू कर दी है। जो नेता अपने वार्ड के आरक्षित हो जाने से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हैं, वे नए वार्डों की तलाश में जुट गए हैं। वहीं कई नए चेहरे यह मान रहे हैं कि आरक्षण में बदलाव उन्हें क्षेत्रीय नेतृत्व में जगह बनाने का मौका देगा।

आरक्षण सूची के इस मसौदे ने दोनों शहरों में चुनावी माहौल को अचानक गर्म कर दिया है। आने वाली अंतिम सूची और फिर चुनाव कार्यक्रम तय होने के बाद जलगांव और मालेगांव की राजनीति की दिशा और भी स्पष्ट होगी। फिलहाल, यह मसौदा सूची आने वाले वर्षों की नगर निगम राजनीति की नींव साबित होती दिख रही है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.